आपकोड हेतु

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

विज्ञापन

राजनांदगांव, दिनांक 29/10/2011

क्रमांक / 6188 /जिपं/IWMP/भर्ती/2011-12

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (SLNA)के अंतर्गत जिले में वाटरशेड कम डाटा सेंटर (WCDC) हेतु अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार एक वर्ष की संविदा (निश्चित वेतन पर) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 07/11/2011 को सायं 05:30 बजे तक वांछित प्रमाण पत्रो सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है — —

क	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता
1	तकनीकी विशेषज्ञ	01 (अनारक्षित)	20880/— एकमुश्त	**Bachelor Degree in the fields of Agriculture/ Horticulture/ Hydrological/ Soil Engineering and Animal Husbandry**
2	लेखापाल	01 (अनारक्षित)	9120/— एकमुश्त	(1) बी.काम. (2) टेली साफ्टवेयर में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01 (अनारक्षित)	8080/— एकमुश्त	(1) स्नातक (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

रिक्त पदों की संख्या :— विज्ञापित रिक्तियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

आयु—सीमा :— दिनांक 01 अप्रैल 2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। महिला एवं विकलांगों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी । छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन,विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय—समय पर आयु—सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की लागू होगी।

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य होगा :—

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइंस/इंफरमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा दो वर्ष से अन्यून।
2. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर साइंस/इंफरमेशन टेक्नालाजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा स्नातक /स्नातकोत्तर उपाधि।
3. DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा।
4. मान्यता प्राप्त आईटीआई द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय सर्टिफिकेट।

नियम व शर्तें :—

1. छ.ग.शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में सम—स्तर आरक्षण दिया जावेगा।
2. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क./एफ—9—1/2004/1/3, दिनांक 28.07.2004 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
4. संविदा नियुक्ति समान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा अवधि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

7. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यॉकन हो सके।

8. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है।

10. <u>चयन प्रक्रिया –</u>

विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए आवेदक का चयन निम्नानुसार निर्धारित अंक योजना के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।

<u>तकनीकी विशेषज्ञ –</u> स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए –70 अंक, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए –20 अंक, अनुभव हेतु न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक के लिए– 05 अंक, 03 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु–10 अंक।

<u>लेखापाल–</u> न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए –70 अंक, कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए 30 अंक।

<u>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–</u> न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए –30 अंक, कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए 70 अंक।

कौशल परीक्षा हेतु मेरिट आधार पर अनुपातिक रूप से उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जावेगा। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव सीमित कर सकते हैं।

11. आवेदन निर्धारित प्रारुप में ही जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।

12. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।

13. प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन दिया जाना होगा।

14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। चयन हेतु अभ्यार्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।

15. लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के उपर प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 लिफाफा भी संलग्न करें।

16. आवेदक का आवेदन दिनांक .... तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला पंचायत, कलेक्टोरेट परिसर राजनांदगांव के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक .... के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। आवेदन पत्र के फटने, गुमने एवं विलंब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

17. नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा।

18. चयनित उम्मीदवार जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

19. किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)